

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

134/अपील/2017

27.03.2017

26.07.2018

रामकरण आ0 भूरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली
जिला बून्दी (राजस्थान)

- अपीलांट

- बनाम -

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20.12.2016

नायब तहसीलदार, हिण्डोली

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से - श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक।

रेस्पोडेन्ट की ओर से - परोकार सरकार


-: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1552 रकबा 08 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली, पैनाल्टी 400/- रुपये एवं 30 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई है एवं विधिक रूप से अपीलान्ट की तामील भी नहीं हुई है एवं बिना तामील कराये ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने अपीलाधीन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं ना ही उसका कब्जा है फिर भी



बूट्टी (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,

(नरेश कुमार शर्मा R.A.S.)

26/11/2018

गया।

आदेश आज दिनांक 26.07.2018 को खले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शर्मा रॉकर बाद तकमिल दाखिल टफ़र हो।
न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।
परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ विवादित मसि पर २२-बार-बार अतिक्रमण करने का आदेश है अतः अपीलान्त पत्रवातवती अतिक्रमि होने प्रमाणित होने है तथा अपीलान्त मय निर्णय का अंकन अधीनस्थ निर्णय व पत्रवाती बयान में है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गलत वर्ष अधीलान्त को बंदखल किये से टोडर नहीं किया जा सकता। अपीलान्त के इस कथन की पुष्टि में अपीलान्त को बिना पत्रवातवती साबित किये सिविल कारावास की सजा किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। जिस मसि पर अतिक्रमण किया गया है वह सरगाह मसि है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा किया है। पत्रवाती रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर टर्न रजिस्टर कर अपीलान्त को अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित मसि पर अतिक्रमण किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पत्रवाती के हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस समय पर २२ मिनट जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

को पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फ़रमाया कब्जा छोड़ने बाबत कोई साक्ष्य, पत्रवाती रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय करने का आदेश है। अपीलान्त ने अतिक्रमण मसि से कब्जा नहीं छोड़ा है, मं अंकन है। अपीलान्त पत्रवातवती अतिक्रमि है तथा बार-बार अतिक्रमण गया था जिसका विवरण पत्रवाती बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय गया है। अपीलान्त को गलत वर्ष अधीलान्त को बंदखल किये तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है कि अपीलान्त ने राजकीय सरगाह मसि पर अतिक्रमण किया गया पत्राकर-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत 20.12.2016 निरस्त फ़रमाया जावे।

अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक बिना सिविल कारावास की सजा से टोडर नहीं किया जा सकता। अतः टरवातवत नहीं लिये गया है। अतिक्रमि को द्वितीय अतिवार साबित किये गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने द्वितीय अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व द्वितीय अतिक्रमण मानते हुये सिविल कारावास की सजा से टोडर किया है। अपीलान्त कोई पत्रवातवती अतिक्रमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने है। अपीलान्त ने पौनाली जमा करा दी है तथा कोई राजस्व बकाया नहीं अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया